2

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 1973/आषाढ़ 14, 1895
No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1973/ASADHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

NOTIFICATION

CUSTOMS

*New Delhi, the 5th July* 1973

**G. S. R. 341(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. G.S.R. 306 (E), dated the 7th June, 1973, the Central Government hereby determines that for the purposes of Sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column 2 of the Schedule below into Indian currency or *Vice Versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof

THE SCHEDULE

| S. No. | Foreign Currency | Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/- |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Austrian Schillings | 235 |
| 2. | Belgian Francs | 485 |
| 3. | Canadian Dollars | 13·58 |
| 4. | Danish Kroners | 76·00 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5. | Dutch Guilders | 35·00 |
| 6. | Deutsche Marks | 32·30 |
| 7. | French Francs | 55·30 |
| 8. | Italian Lire | 7810 |
| 9. | Japanese Yen | 3560 |
| 10. | Norwegian Kroners | 70·80 |
| 11. | Pound Sterling | 5·2950 |
| 12. | Swedish Kroners | 54·20 |
| 13. | Swiss Francs | 38·90 |
| 14. | U.S.A. Dollar | 13·59 |

[No. 103/F.No. 503/6/73-Cus-VI.]

P. K. K APOOR, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

## राजस्व और बीमा विभाग

### अधिसूचना

### सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1973

**सा० का० नि० 341(अ).**—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 306(ई) तारीख 7 जून, 1973 को अधिक्रोत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें ये होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

### अनुसूची

| क्र० सं० | विदेशी करेंसी | 100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | आस्ट्रिया के शिलिंग | 235 |
| 2. | बैल्जयम के फ्रेंक | 485 |
| 3. | केनाडा के डालर | 13.58 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4. | डेनमार्क के क्रोनर | 76.00 |
| 5. | डच गिल्डर | 35.00 |
| 6. | जर्मन (डुएशे) मार्क | 32.30 |
| 7. | फ्रांस के फ्रेंक | 55.30 |
| 8. | इतालवी लीरा | 78.10 |
| 9. | जापानी येन | 3560 |
| 10. | नार्वे के क्रोनर | 70.80 |
| 11. | पौंड स्टर्लिंग | 5.2950 |
| 12. | स्वीडन क्रोनर | 54.20 |
| 13. | स्विटजरलैंड के फ्रेंक | 38.90 |
| 14. | संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर | 13.59 |

[सं० 103/फा० सं० 503/6/73-सीमाशुल्क]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973